

निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है।

- अज्ञात



## अधिकारों को कुचलने वाला कानून

भले ही हांगकांग लंबे समय से चीन का अंग रहा हो, लेकिन उन्नीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में चीन की तत्कालीन हुकूमत ने उसे ब्रिटेन को 99 साल की लीज पर दे दिया था। लीज की अवधि समाप्त होने पर 1997 में 50 साल तक 'एक देश दो सिस्टम' लागू करने की शर्त पर वह चीन को वापस मिला।

आमिर शाह।

हांगकांग में मानवाधिकार का मसला और उलझ गया है। चीन सरकार द्वारा वहां इसी सप्ताह सख्त सुरक्षा कानून लागू किए जाने के बाद अमेरिका ने चीन पर पाबंदियां लगाने वाला कानून लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जबकि ब्रिटेन ने हांगकांग वासियों को निवास और नागरिकता उपलब्ध कराने का संकेत दिया है।

कई और देश भी हांगकांग में स्वायत्तता और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहे आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए कानून के जरिए चीन हांगकांग की जनता से वे अधिकार छीन रहा है जो उन्हें लंबे समय से हासिल रहे हैं। जिस समझौते के तहत 1997 में चीन को हांगकांग का हस्तांतरण किया गया था, उसका भी तकाजा है कि

2046 के अंत तक हांगकांग को 'एक देश दो व्यवस्था' के सिद्धांत के अनुरूप स्वायत्तता हासिल रहे।

आरोप यह है कि हांगकांग में नागरिक अधिकारों को कुचलने वाला कानून लाकर चीन अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रहा है। मगर गौर करने की बात है कि इस मसले पर दुनिया में चीन को भी अच्छा-खासा समर्थन मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में क्यूबा ने चीन के पक्ष में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर उसे 52 देशों का साथ मिला। ये सभी देश चीन का साथ इस आधार पर दे रहे हैं कि हर देश को अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए कानून बनाने और लागू करने का अधिकार है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद बने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मूल

सिद्धांत यही है कि हर देश एक इकाई है, जिसकी एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान पूरी दुनिया को हर हाल में करना चाहिए। चूंकि हांगकांग में जारी आंदोलन की एक धारा ऐसी भी है जो उसे चीन की सरपरस्ती से मुक्त एक स्वतंत्र समाज के रूप में देखने का आग्रह करती है, इसलिए चीन के इस आरोप को कुछ वजन मिल जाता है कि नागरिक आंदोलन की आड़ लेकर वहां उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है।

इसमें दो राय नहीं कि किसी भी देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी बाहरी शक्ति को नहीं दी जा सकती, लेकिन चीन को भी समय रहते यह समझ लेना चाहिए

कि हांगकांग एक अलग इतिहास से गुजर कर उसका हिस्सा बना है। लिहाजा डंडे के जोर पर नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए ही चीन उसे अपने साथ रख सकता है। भले ही हांगकांग लंबे समय से चीन का अंग रहा हो, लेकिन उन्नीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में चीन की तत्कालीन हुकूमत ने उसे ब्रिटेन को 99 साल की लीज पर दे दिया था। लीज की अवधि समाप्त होने पर 1997 में 50 साल तक 'एक देश दो सिस्टम' लागू करने की शर्त पर वह चीन को वापस मिला। इस शर्त को भूलकर मनमानी चलाने की कोशिश हांगकांग में और ज्यादा प्रतिक्रिया को जन्म देगी, जिसके नतीजे चीन के लिए उलट साबित होंगे।

## धर्म में रहना चाहिए

अशोक वोहरा।

बैंक्यों टोक्यों के ताइशो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। उनका विश्वास था कि व्यक्तिगत मामला समझकर एकांत में रहने के बजाय धर्म में रहना चाहिए और समाज में इसका चलन भी होना चाहिए। वह चाहते थे कि व्यक्तिगत रूप में सीमित रहने और अन्य सांसारिक मोक्ष के विचार के बजाय विश्व के कष्टों और समस्याओं का समाधान करने के लिए धर्म की तरफ रुख करना चाहिए।

बैंक्यों, क्योसे शब्द की व्याख्या करते हुए इसका अर्थ बताते हैं कि "समुदाय में एक साथ जीवन जीने के लिए", अर्थात् यह बौद्ध सिद्धांत के प्रतीत्य समुत्पद के किसी कथित नकारात्मक अर्थ को बदलने से संबंधित है। उन्होंने व्याख्या की कि इसका अर्थ है प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व के लिए अन्य पर निर्भर है, इसी तरह अन्य भी अपने अस्तित्व के लिए प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव पर आश्रित हैं।

धर्म-दर्शन



## संपादकीय

### बदल जाएगा चेहरा

कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन शुरू करने का सामाजिक-आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास, अन्य क्षेत्रों पर गुणक प्रभाव, क्लस्टर विकास और आयात बिल में कमी भारत को विकास पथ पर आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगी। यह कदम कोयला क्षेत्र का उसी तरह पुनरुद्धार करेगा जैसे निजी कंपनियों के प्रवेश ने भारतीय बैंकिंग का चेहरा बदल दिया है। सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं स्वच्छ और अधिक कुशल प्रक्रिया के रूप में कोयला गैसीकरण की ओर बढ़ रही हैं।

नई नीति कोयला गैसीकरण के लिए विशेष प्रोत्साहन देती है। हमने 2030 तक 10 करोड़ टन कोयला गैसीकरण के महत्वाकांक्षी कोयला लक्ष्यों को निर्धारित किया है। यह समुदाय को लाभान्वित करने वाली एक स्वच्छ प्रक्रिया है और परिवहन तथा खाना पकाने के क्षेत्र में इसकी स्पष्ट उपयोगिता है। कड़ियों के लिए व्यापक आपत्ति पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में है। उन्हें समझना चाहिए कि भारत ने कोयला आयात करना जारी रखा है। जब हम देश के भीतर कोयला खनन कर रहे हैं तो कम से कम आवश्यक सावधानी तो बरत सकते हैं।

वास्तव में, बिजली उत्पादन में कोयले का उपयोग हमें ऊर्जा ग्रिड को संतुलित रखने में मदद करेगा। इससे हमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाने में आसानी होगी, जिससे 100 गीगावॉट से अधिक बिजली उत्पादन की उम्मीद है। हम पिछले पांच दशक से भारत और उसकी अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई कर रहे हैं।

यह निजी क्षेत्र, प्रतिस्पर्धा और दक्षतापूर्ण लाभ के लिए निवेश के अवसर प्रदान करेगा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह परिवर्तनकारी सुधार क्यों है।

## बढ़ता रहा आयात



अमिताभ कांत।

सन् 1973 में जब कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब मैं एक स्कूली छात्र था। इस नीतिगत निर्णय के फलस्वरूप भारत दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक होने के बावजूद कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया। इसने एक ऐसा परिदृश्य भी तैयार किया, जिसमें संभावित कोयला-धारक क्षेत्रों की विस्तृत खोज को पूरा करने में 35 वर्ष और लगेंगे। इस त्रुटिपूर्ण नीतिगत निर्णय को सुधारने में भारत को लगभग 50 वर्ष लग गए, जिसने इसकी वृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को प्रभावित किया है। वाणिज्यिक कोयला खनन और गैसीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कोयला क्षेत्र को खोलने का सरकार का निर्णय एक ऐतिहासिक विसंगति को त्रुटिमुक्त करेगा। यह निजी क्षेत्र, प्रतिस्पर्धा और दक्षतापूर्ण लाभ के लिए निवेश के अवसर प्रदान करेगा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह परिवर्तनकारी सुधार क्यों है।

पहला, पिछले कुछ वर्षों में हमारी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कोयले के आयात में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में हमें अपनी कुल कोयले की मांग का 25 प्रतिशत आयात करना पड़ा था, जो कि 235 मीट्रिक टन कोयला

है। वर्ष 2018-19 में इसमें हमारे कुल 1.7 लाख करोड़ रुपये व्यय हुए और हमारे आयात बिल पर भारी दबाव पड़ा। हमारी मांग को पूरा करने में विफल राष्ट्रीयकृत कोयला खदानों के महेनजर वाणिज्यिक कोयला खनन भारत के लिए कोयला आयात से छुटकारा दिलाने, ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और आयात बिल को कम करने का एकमात्र रामबाण उपाय है।

दूसरा, विनियामक निरीक्षण और निगरानी के साथ वाणिज्यिक खनन लाइसेंस जनजातीय समुदायों और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। भारत में हिंदुस्तान जिंक जैसे उत्तरदायी खनन के कई उदाहरण हैं, जिन्होंने स्थानीय आबादी को काफी लाभ पहुंचाया है और सुनिश्चित किया है कि जनजातीय समुदाय का स्थानीय जीवन और परंपराएं प्रभावित न हों। जिला खनिज कोष और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष का धन स्थानीय समुदायों में लगाया जाता है और इससे इंसानी और भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को नया रूप मिलता है। तीसरा, इन

राज्यों में वाणिज्यिक खनन शुरू होने पर राज्यों की आय में अच्छी-खासी वृद्धि होने की संभावना है। चूंकि कोयला क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है, इसलिए हम भारत के कोयला क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक और भारतीय निवेशकों को मुख्य आधार के रूप में देखेंगे। इससे राष्ट्रीय और राज्य के राजस्व को गति मिलेगी। खनन एक श्रम सघन क्षेत्र है, जिसका अर्थ यह होगा कि ऐसी खानें हजारों लोगों को रोजगार देंगी, उनके परिवार करीब रहेंगे और रेल जंक्शनों सहित एक सहायक कोयला परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता होगी। इनमें से कई खदानें भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में स्थित हैं, जिनका औद्योगिक आधार कम है। इसलिए इन राज्यों के इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण को आमूल-चूल बढ़ावा मिलेगा।

चौथा, कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश के अंतर्गत अपार फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज अंतर्निहित हैं। परिवहन और भौतिक अवसंरचना के बैकवर्ड लिंकेज से सामूहिक विकास का सृजन होना स्वाभाविक है। फॉरवर्ड लिंकेज में सीमेंट, उर्वरक, स्टील और एल्युमिनियम जैसे क्षेत्र के विकास में भरपूर सहायता मिलेगी। वे कोयले की बढी हुई उपलब्धता के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। पांचवा, नवीनतम वैश्विक खनन प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और प्रतिस्पर्धा का प्रवेश इस क्षेत्र को अंदर से नया रूप देगा।

सूडोकू नवताल-5398									
5	9	1	2	3	8				
		4	5						
2					5				
	3	5		4	8				
	7				1				
	5	8	6	9					
8									1
		2	9						
3	4	6	7	5	2				

### अपना ब्लॉग

आकांक्षाओं में सामंजस्य स्थापित करना संभव

**मोहन।** व्यवहार्य कोयला आपूर्ति ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने के हमारे प्रयासों का पूरक है। इसके अलावा, विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत कार्बन डायॉक्साइड का उत्सर्जन 4.8 टन है, जबकि भारत के लिए यह संख्या 2 टन प्रति व्यक्ति है। यह ऑस्ट्रेलिया (16.9), चीन (7.0), यूरोपीय संघ (6.7) और संयुक्त राज्य अमेरिका (16.6) की तुलना में काफी कम है। महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण पावर प्लांट की उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदूषकों को नियंत्रित करेगी और उत्पादित बिजली की मात्रा में वृद्धि करेगी। पर्यावरण पर अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए विकास आकांक्षाओं में सामंजस्य स्थापित करना हमारे लिए संभव है। जैसे निजी बैंकों के प्रवेश से हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लाभान्वित हुए हैं, वैसे ही कोल इंडिया लिमिटेड भी उद्योग में होने वाले अधिप्लावन प्रभाव से लाभान्वित होगा। सरकार ने कोयले के गैसीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जिसका उपयोग परिवहन और खाना पकाने के क्षेत्रों में किया जाएगा और इस क्षेत्र में और मूल्य-वर्धन पैदा करेगा।

